# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जे0एन0मथुरिया आर.ए.एस.

अपील संख्या 152 / 2014 ( 223 आर.टी.एक्ट)

आर.सी.एम.एस.नम्बर– 2014 / 00395

उनवानी :–

1– विशम्भरदयाल पुत्र जगन्नाथप्रसाद जाति वैश्य निवासी 138 रणजीतनगर भरतपुर।

2– देवेन्द्रसिंह
3– गजेन्द्र

पुत्रगण रूपसिंह जाति जाट निवासी 107 कृश्णानगर भरतपुर जिला भरतपुर।

अपीलांटान––––––––––––

बनाम

1– निदेशक राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केन्द्र सेवर जिला भरतपुर।

असल रेस्पोडेन्ट––––––––

2–बृजराम उर्फ भोलू
3–श्रीपालसिंह
4–कृपालसिंह

पुत्रगण रामसिंह जाति जाट निवासी कृशि फार्म सरसों अनुसंधान केन्द्र की बगल मे सेवर भरतपुर

तरतीवी स्पो0––––––––––

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वनाराजी फैसला व डिक्री उपखण्ड अधिकारी भरतपुर दिनांक 17.10.2014 व मुकदमा दावा विशम्भरदयाल बनाम निदेशक राश्ट्रीय सरसो अनुसंधान केन्द्र सेवर भरतपुर मु0 नम्बर 221 / 2008

उपस्थितिः–

1– वकील अपीलांट श्री तालेराम

2– श्री राजेन्द्र सिंह रैस्पो0

निर्णय दिनांक 08.04.2019

यह अपील अपीलार्थी द्वारा इस आ" ाय की पे" ा की गई है कि आराजी खसरा नम्बर 129 / 0.28 ऐयर वाके ग्राम अनाह तहसील व जिला भरतपुर मे स्थित है जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया है । विवादित आराजी बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर यह अपील पे" ा की गई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई ।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यो को दौहराते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजी अपीलार्थीगण के खातेदारी के गत खसरा नम्बर 198 मिन से निर्मित है। प्रत्यर्थी के खातेदारी का कोई भी रकबा इस खसरा नम्बर मे शामिल नही किया गया है। भू–प्रबन्ध विभाग ने बिना आधार एवं आदेश के प्रत्यर्थी का नाम विवादित आराजी मे आधे हिस्से मे दर्ज कर दिया है जो गलत है अतः अपीलार्थी को विवादित आराजी के सम्पूर्ण रकबे का खातेदार घोषित किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टांत पे" ा कियेः–

1– आर.आर.टी. 2003(1) पेज नम्बर 273

2– डी.एन.जी. (राज.) 2000 पेज नम्बर 33

3– आर.बी.जे. (15) 2008 पेज नम्बर 776

बचाव मे वकील प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी ने कहीं भी यह प्रकट नही किया है कि विवादित आराजी किस खसरा नम्बर से बनी है। मिलान क्षेत्रफल के हिसाब से विवादित आराजी खसरा नं0 199 मिन एवं 252/198 मिन से बना प्रकट होता है। अपीलार्थी ने 252/198 मिन की नकल जमाबन्दी पेश नही की है और न ही गत एवं हाल नक्शा पेश किया है अपीलार्थी ने इस तथ्य का छिपाया है कि हाल सेटलमेण्ट मे अपीलार्थी का कुल कितना रकबा कम या बेसी आया है अतः अपील खारिज की जावें। अपने पक्ष के समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टांत पे" ा किये।

1– 1993 आर.आर.डी. पेज नं0 246(A)

2– 199 आर.बी.जे. पेज नं0 310

3– 1999 आर.बी.जे. पेज नं0 193

4– 1999 आर.बी.जे. पेज नं0 158

बहस उभयपक्ष एवं दस्तावेजों के अवलोकन से प्रकट होता है। कि विवादित आराजी गत खसरा नं0 199मिन एवं 252/198 मिन से बनी है इनमें से 199 मिन अपीलार्थी एवं 252/198 मिन प्रत्यर्थी के खाते मे दर्ज थी। मिलान क्षेत्रफल से गत खसरा नम्बरों के रकबे से हाल खसरा नम्बर के रकबे से मिलान नहीं होता है। इसी द" ाा मे प्रत्यर्थी का आक्षेप यथावत रहता है कि अपीलार्थी अपने मामले को सिद्ध करने मे असफल रहा है। अतः अपील अपीलार्थी सिद्ध करने मे असफल रहने के कारण खारिज की जाती है।

सत्यमेव जयते
Web copy, Not official

राजस्व अपील
प्राधिकारी
भरतपुर

यह आदे" ा आज दिनांक 03.04.2019 को मेरे द्वारा लिखा या जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील
प्राधिकारी
भरतपुर

डिकरी व सीगे अपील
(ऑर्डर 41 , रूल 35, जाब्ता दीबानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)
अज अदालत **राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर** मुकाम **भरतपुर**
व इजलास श्री जगदीश नारायण मथुरिया (आर0ए0एस0)

**अपील संख्याः**— 87/2009 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :— 2009/00103

उनवानी :—

1— छत्तरसिंह पुत्र प्रेमराज जाति गछवाया ठाकुर निवासी घेहरी तहसील व जिला भरतपुर (मृतक)
1/1— हुकमसिंह पुत्र स्व0 छत्तरसिंह
1/2— गीता पत्नी जगन्नाथ
1/3— भावना पुत्री जगन्नाथ पौत्री छत्तरसिंह
1/4— निधि पुत्री जगन्नाथ पौत्री छत्तरसिंह
1/5— नितिन पुत्र स्व0 जगन्नाथ पौत्र छत्तरसिंह
1/6— निशान्त पुत्र जगन्नाथ पौत्र छत्तरसिंह
नावा लिगान द्वारा मॉ गीता जाति कुशवाह निवासी घेहरी तहसील व जिला भरतपुर।
1/7— प्रायो उर्फ प्रेमवती पुत्री छत्तरसिंह पत्नी भगवानसिंह जाति कुशवाह
निवासी ताजगंज आगरा उ.प्र.।
1/8— अनारो पुत्री छत्तर पत्नी कमलसिंह जाति कुशवाह निवासी सेवला जाट ग्वालियर रोड आगरा उ.प्र.।
1/9— भूदेवी पुत्री छत्तरसिंह पत्नी ब्रहा जाति कुशवाह निवासी बुद्धाधानोनी तहसील व जिला आगरा उ.प्र.।
1/10— कुसमलता पुत्री छत्तरसिंह पत्नी राजेश जाति कुशवाह निवासी बुद्धा का नगला धानौली तहसील व जिला आगरा उ.प्र.।
2— सियराम पुत्र प्रेमराज जाति कुशवाह ठाकुर निवासी घेहरी तहसील व जिला भरतपुर।

अपीलांटान————————

बनाम

1— दीनबन्धु पुत्र पीताम्बर जाति कुशवाह ठाकुर निवासी चकदारापुर न02 तहसील व जिला भरतपुर — मृतक
1/1— अर्जुन
1/2— लाखन सिंह
1/3— अमरसिंह
1/4— सौमोती विधवा दीनबन्धु
पुत्रान दीनबन्धु जाति कुशवाह ठाकुर निवासी चक दारापुर न0 2 तहसील व जिला भरतपुर ।
1/5— प्रेम
1/6— पूरनदेई
पुत्री दीनबन्धु

स्पो0————————

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री उप जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 17.07.09 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 156/03 शीर्षक छत्तरसिंह आदि बनाम दीनबन्धु।

यह अपील .....03.....माह.....04.....सन्...2019.....व हमारे.....श्री महाराज सिंह एड..... मिनजानिब अपीलाण्ट व़ श्री दिनेशचंद शर्मा एड.....रैस्पोडेण्ट समायत के लिये पे" ा होकर यह हुक्म है कि... है कि अतः अपील अपीलार्थी सिद्ध करने मे असफल रहने के कारण खारिज की जाती है।

(खर्चा अपील.....का हस्य तफसील जेर तादादी जेर तादादी मुबलिग.....)रूपये..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मुबलिग का.....अदा करें बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....**03**.....माह.....**04**.....सन्.....**2019**.....को जारी की

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

| मुदई | रूपया | पैसे | मुदायलाह | रूपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महनताना वकील पर | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत् इजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत् इजराय हुक्मनामा | | | मुतफर्रिक | | |
| मुतफर्रिक | | | | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।